लय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : सुश्री प्रिया बजाज

संo : 183/2024

ल :

1. रामसिंह पुत्र मंगतू जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।
2. रामकुमार पुत्र मंगतू जाति कुम्हार निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।
3. महावीर पुत्र मंगतू जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।

:– वादीगण

बनाम

1. मंगतू पुत्र चन्दू जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।
2. धापा उर्फ निर्मला पुत्री मंगतू जाति कुम्हार (प्रजापति) हाल निवासी पत्नी उम्मेदपाल पुत्र लखीराम निवासी कृष्णा कॉलोनी भिवानी (हरियाणा)।
3. पारी उर्फ पार्वती पुत्री मंगतू जाति कुम्हार (प्रजापति) हाल निवासी पत्नी राजवीर पुत्र माडुराम निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
4. कृष्ण पुत्र सन्तोष पुत्री मंगतू जाति कुम्हार निवासी हाल पता माहीपत पुत्र रामजीलाल गांव लुहारू जिला भिवानी (हरियाणा)।
5. श्रवण पुत्र सन्तोष पुत्री मंगतू जाति कुम्हार निवासी हाल पता माहीपत पुत्र रामजीलाल गांव लुहारू जिला भिवानी (हरियाणा)।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
7. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अजीतपुरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र गोयल : **वादीगण**

वकील श्री सन्दीप गोदारा : **प्रतिवादी सं0 1 ता 5**

निर्णय **दिनांक :** 14.02.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा अजीतपुरा के खाता सं0 419/418 के ख0सं0 442 की 5.222 है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 मंगतू के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादीगण के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 6 [illegible] पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 बावजूद तामील के हाजिर नहीं आये [illegible] एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण द्वारा [illegible] की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में रामसिंह पुत्र मंगतू जाति कुम्हार निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम अजीतपुरा खाता संख्या 419/418 सम्वत 2074–77 प्रदर्श 1, जमाबंदी ग्राम अजीतपुरा खाता संख्या 439/416 सम्वत 2074–2077 प्रदर्श 2, जमाबंदी ग्राम अजीतपुरा खाता संख्या 83/289 सम्वत 2046 प्रदर्श 3, शपथ पत्र रामसिंह पुत्र मंगतू जाति कुम्हार निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा प्रदर्श 4, सदस्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Priya Bajaj
Date: 2025.02.25 12:57:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ग्राम पंचायत अजीतपुरा प्रदर्श 5 तथा जमाबंदी भू प्रबंध विभाग ग्राम अजीतपुरा 2029–2038 खाता संख्या 95 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते बयान किया कि वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस पर मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम अजीतपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 6 प्रदर्शित करवाये। रोही मौजा अजीतपुरा के खाता सं0 419/418 के ख0सं0 442 की 5.222 है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 मंगतू के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 मंगतू अकेले की बजाय वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 मंगतू को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अजीतपुरा के खाता सं0 419/418 के ख0सं0 442 की 5.222 है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 मंगतू के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 मंगतू अकेले की बजाय वादी संख्या 1 रामसिंह, वादी संख्या 2 रामकुमार, वादी संख्या 3 महावीर व प्रतिवादी संख्या 1 मंगतू को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Priya Bajaj
Date: 2025.02.25 12:57:39 IST
Reason: SelfAttested

(प्रिया बजाज)RAS
(फास्ट-ट्रैक)
गढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

लय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : सुश्री प्रिया बजाज

सं० : 183/2024

न :

1. रामसिंह पुत्र मंगतू जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।
2. रामकुमार पुत्र मंगतू जाति कुम्हार निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।
3. महावीर पुत्र मंगतू जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।

:– वादीगण

बनाम

1. मंगतू पुत्र चन्दू जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।
2. धापा उर्फ निर्मला पुत्री मंगतू जाति कुम्हार (प्रजापति) हाल निवासी पत्नी उम्मेदपाल पुत्र लखीराम निवासी कृष्णा कॉलोनी भिवानी (हरियाणा)।
3. पारी उर्फ पार्वती पुत्री मंगतू जाति कुम्हार (प्रजापति) हाल निवासी पत्नी राजवीर पुत्र माडुराम निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
4. कृष्ण पुत्र सन्तोष पुत्री मंगतू जाति कुम्हार निवासी हाल पता माहीपत पुत्र रामजीलाल गांव लुहारू जिला भिवानी (हरियाणा)।
5. श्रवण पुत्र सन्तोष पुत्री मंगतू जाति कुम्हार निवासी हाल पता माहीपत पुत्र रामजीलाल गांव लुहारू जिला भिवानी (हरियाणा)।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
7. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अजीतपुरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री राजेन्द्र गोयल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सन्दीप गोदारा की उपरिथिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अजीतपुरा के खाता सं0 419/418 के ख0सं0 442 की 5.222 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 मंगतू के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 मंगतू अकेले की बजाय वादी संख्या 1 रामसिंह, वादी संख्या 2 रामकुमार, वादी संख्या 3 महावीर व प्रतिवादी संख्या 1 मंगतू को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वादी [illegible] अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priya Bajaj
Date: 2025.02.25 12:57:39 IST
Reason: SelfAttested

(प्रिया बजाज) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner